

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 354] No. 354] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 25 मई. 2018

सं. 29 /2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 499(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली, के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 44/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1149(अ) दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (7) में, प्रविष्टि, "यूरो कैम ट्रैडिंग जीएमबीएच, राफर्ट ऑफशोर साल, लेबनान के माध्यम से", को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/205/2017-टीआरयू(पार्ट I)]

मोहित तिवारी अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 44/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को सा.का.िन. 1149(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

2961 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

No. 29/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/2017-Customs (ADD), dated the 12th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1149(E), dated the 12th September, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, against serial number 1, in column (7), the entry "Euro Chem Trading GMBH Through Rawfert Offshore Sal, Lebanon" shall be substituted.

[F.No.354/205/2017-TRU(Pt-I)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 44/2017-Customs (ADD), dated the 12th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1149(E), dated the 12th September, 2017.